न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण सं. –54 / 2024

अनवान

छगनलाल पुत्र भोला मेघवाल जाति मेघवाल उम्र बालिग निवारी ग्राम बलकुण्डीकलां तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

प्रार्थी............

बनाम

श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

अप्रार्थी.........

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

अधिवक्ता प्रार्थी:– श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत।
अप्रार्थी:– पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक – 05.09.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी की कृषि आराजीयात ग्राम सेमलिया प0ह0 टोलो का लुहारिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 105 खसरा संख्या 16 कुल किता 01 कुल रकबा 0.86है0 लगानी 3.44 पैसे जो खाते में मुझ प्रार्थी के खाते नाम दर्ज रिकार्ड है, जो कि उक्त कृषि आराजीयात पर मै प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित कृषि आराजी संख्या 16 पर आने जाने का रास्ता ग्राम सेमलिया प0ह0 टोलो का लुहारिया की खाता संख्या 01 खसरा संख्या 17 बिलानाम सरकार से मूल रास्ता खसरा संख्या 63 पर जाता है उक्त रास्ते पर आराजी संख्या 17 पर गाडी गडार बनी हुई है, लेकिन रास्ता तरमीम नही होने से भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। खसरा संख्या 17 में जो गाडी गडार बनी हुई हे जिसका उपयोग प्रार्थी कदीवी समय से करता चला आ रहा है, उक्त रास्ता मुझ प्रार्थी के बाप दादाओं के समय से ही बना हुआ है, लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से आस पडौस के लोग आयेदिन परेशान करते रहते है। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम सेमलिया की आराजी संख्या 16 मे आने जाने हेतु खसरा संख्या 17 बिलानाम सरकारी भूमि में गै0मु0 रास्ता कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब किया गया, अप्रार्थी तहसीलदार रावतभाटा ने प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम सेमलिया प0ह0 टोलो का लुहारिया जमाबन्दी सम्वत 2076–79 आराजी संख्या 16 रकबा 0.86है0 भूमि प्रार्थी छगनलाल पिता भोला मेघवाल के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है।राजस्व रिकार्ड अनुसार आराजी संख्या 16 पर पहुंचने के लिए रास्ता दर्ज नहीं है। उक्त आराजी तक आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी ने ग्राम सेमलिया के आराजी संख्या 17 रकबा 1.30है0 भूमि किस्म बारानी–2 बिलानाम दर्ज रिकार्ड है, उक्त बिलानाम भूमि के दक्षिणी मेड से रास्ता चाहा गया है। वर्त[illegible]आराजी संख्या 16 तक पहुंचने के लिऐ मौके पर रास्ता चालू है, परन्तु राज[illegible] दर्ज नहीं है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम दूरी का रास्ता आरा[illegible] है। प्रस्तावित रास्ते में कोई पक्का निर्माण त[illegible] प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता में आने वाली आराजी संख्या 17 की चौडाई व लम्बाई 5मी X72मी.=360 वर्गमीटर भूमि प्रस्तावित है। प्रस्तावित भूमि की प्रचलन डीएलसी दर 33006[illegible] रू प्रति है0 एवं 33.01 रू प्रति वर्गमीटर है प्रार्थी के रास्ते में आने वाली कुल भूमि 360 वर्गमीटर है। प्रचलन डीएलसी रेट के हिसाब से 360X33.01=11883 रू बनती है, जिसका दुगुना शुल्क 11883X2=23766 प्रार्थी को जमा कराना होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.09.20 15:56:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

हमने उभय पक्ष को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि उनकी आराजीयात में आने जाने का कोई रास्ता नहीं होने से उसे कृषि कार्य हेतु आने जाने में असुविधा होती है तथा आराजी संख्या 17 बिलानाम सरकार भूमि में से नियमानुसार रास्ता चाहते है। इसके लिए वह नियमानुसार राशि विपक्षी खातेदार को देने को तैयार है। तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की कृषि आराजीयात पर पहुचंने के लिए आराजी संख्या 17 बिलानाम भूमि में से रास्ता चाहा गया है जो की बिलानाम राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है, उक्त रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि की आराजी संख्या 17 की चौडाई व लम्बाई 5मी.X72मी.=360 वर्गमीटर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि की डी एल सी रेट के हिसाब से प्रार्थी को पैसे जमा कराने होंगे जिसकी डी एल सी दर 360X33.01=11883 रू की दुगुनी राशि 11883X2=23766 रू जमा कराने होंगे। हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। प्रार्थना--पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । प्रार्थी के पास उसके खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई न्युनतम मार्ग/विकल्प नहीं होने से उसके द्वारा सुखाधिकार के तहत भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। जिससे उक्त तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत ग्राम सेमलिया पटवार हल्का टोलो का लुहारिया में आराजी संख्या 16 रकबा 0.86 है0 भूमि में आने--जाने हेतु आराजी संख्या 17 रकबा 1.3 है0 भूमि बिलानाम सरकार मे से 360 वर्गमीटर भूमि रास्ता दिलाये जाने का स्वीकार किया जाकर रकबा 360 वर्गमीटर भूमि डीएलसी रेट अनुसार डीएलसी दर 330063/रू. अनुसार कीमत 11883 रू की दुगुनी दर से राशि **23766/रू. (अक्षरे रूपये तेब्बीस हजार सात सौ छाछठ रू. मात्र)** कीमतन का भुगतान बिलानाम सरकार होने से तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत राजकोष में किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतू सार्वजनिक रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम किया जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का भुगतान विपक्षी पेरोकार सरकार को किये जाने बाबत उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत किये जाने हेतू प्रस्तुत करें तथा राजस्व अभिलेख में अमल हेतू तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे की छायाप्रति, निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भेजी जावे।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

(महेश गगोरिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.09.20 15:56:45 IST
Reason: SelfAttested